



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200



भाराराप्रा/ नीति दिशानिर्देश / मानक दस्तावेज/ 2026 नीति परिपत्र सं. 11.96 / 2026 दिनांक 10th जुलाई, 2026

{{ई-ऑफिस फाइल सं. CDMDIV-25/3/2026-CMD Division (कम्प्यूटर सं. 307004 पर लिया गया निर्णय)}}

NHAI/Policy Guidelines/ Standard Documents/2026

Policy Circular No. 11.96 /2026 dated 10th July, 2026

{{(Decision taken on E-Office File No. CDMDIV-25/3/2026-CMD Division (Comp No. 307004)}}

विषय: भाराराप्रा स्तर पर मंजूर चल रही बोली प्रक्रिया और एनआरसीडबल्यू के भविष्य के कार्यों ईपीसी मोड, ओएंडएम/एसटीएमसी/पीबीएमसी, दुर्घटना संभावित स्थल कार्य आदि के लिए अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति जारी करना।

Sub: Release of Additional Performance Security in Ongoing Bidding Process and future works of NRCW taken up on EPC Mode, O&M/ STMC/ PBMC, Blackspot Work etc. sanctioned at NHAI level.

भाराराप्रा ने नीति परिपत्र संख्या 11.94/2026 दिनांक 19.06.2026 के द्वारा भाराराप्रा स्तर पर मंजूर और चल रही बोलियों तथा ईपीसी मोड, ओएंडएम/एसटीएमसी, मद दर (प्रतिशत) या पीबीएमसी के अंतर्गत आने वाले गैर-नियमित सिविल कार्य (एनआरसीडबल्यू)/ दुर्घटना संभावित स्थल कार्यों की सभी भविष्य की बोलियों के लिए अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति के प्रावधान में संशोधन किया है।(प्रतिलिपि संलग्न है)

NHAI vide Policy Circular No. 11.94/2026 dated 19.06.2026 amended the provision of Additional Performance Security for ongoing Bids as well as all future Bids of Non-Regular Civil Works (NRCW)/Blackspot Works taken up on EPC Mode or O&M/ STMC or Item Rate (percentage) or PBMC sanctioned at NHAI level.(Copy enclosed)

2. अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति जारी करने के प्रावधान में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:
The Provision for release of Additional Performance Security is modified as given below:

- (i) पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद अतिरिक्त कार्य-निष्पादन प्रतिभूति का 25% जारी किया जाएगा बशर्ते परियोजना, संविदा के अनुसार रियायत अवधि, यदि कोई हो, सहित निर्धारित पूर्णता समय के अनुसार बिना किसी ईओटी के पूरी हो गई हो। यदि परियोजना बिना किसी ईओटी के निर्धारित पूर्णता तिथि के अनुसार पूरी नहीं होती है, तो अतिरिक्त कार्य-निष्पादन प्रतिभूति का 25% नीचे दिए गए पैरा (2-ii) के साथ जारी किया जाएगा।

25% of the Additional Performance Security shall be released after issue of Completion Certificate provided the Project is completed as per the scheduled time of completion including grace period as per Contract, if any, without any EOT. If the Project is not completed as per the scheduled date of completion without any EOT, 25% of the Additional Performance security shall be released along with Para (2-ii) below.

- (ii) अतिरिक्त कार्य-निष्पादन प्रतिभूति का 25% पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के एक वर्ष बाद जारी किया जाएगा, बशर्ते कि खंड मंत्रालय/भाराराप्रा के स्वतंत्र एनएसवी सर्वेक्षण में पेवमेंट गुणवत्ता सूचकांक (पीसीआई)/अंतरराष्ट्रीय खुरदरापन सूचकांक (आईआरआई) के संदर्भ में संविदा के अनुसार मानदंडों को पूरा कर रहा हो, जिसके लिए कार्यालय जापन संख्या आरडबल्यू/जी-23012/01/2019-डबल्यूएंडए (पार्ट-V) दिनांक 21.05.2026 का संदर्भ लिया जा सकता है।

Contd.....2/-

25% of the Additional Performance Security shall be released one year after issue of Completion Certificate provided Stretch is meeting the norms as per the contract in terms of Pavement Quality Index (PCI)/ International Roughness Index (IRI) in the independent NSV survey of the Ministry/ NHAI for which OM No. RW/G-23012/01/2019-W&A (Part -V)) dated 21.05.2026 may be referred.

- (iii) अतिरिक्त कार्य-निष्पादन प्रतिभूति का शेष 50% दोष दायित्व अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा।
Remaining 50% of the Additional Performance Security shall be released after successful completion of the Defects Liability Period.
- (iv) यदि मंत्रालय/भाराराप्रा के स्वतंत्र एनएसवी सर्वेक्षण में पूर्णता प्रमाण पत्र से शुरू होने वाले किसी भी अर्धवार्षिक मूल्यांकन में यह खंड अनुबंध के अनुसार पेवमेंट गुणवत्ता सूचकांक (पीसीआई)/ अंतरराष्ट्रीय खुरदरापन सूचकांक (आईआरआई) के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो प्रत्येक ऐसी विफलता के लिए अतिरिक्त कार्य-निष्पादन प्रतिभूति के @5% का गैर-प्रतिदेय जुर्माना लगाया जाएगा।
If the stretch fails to meet the norms of Pavement Quality Index (PCI)/ International Roughness Index (IRI) as per the Contract in any biannual assessment starting from Completion Certificate in the Independent NSV Survey of the Ministry/NHAI, Non-refundable Penalty @5% of the Additional Performance Security shall be levied for each such failure.

3. ऊपर पैरा-1 में बताई गई बोलियों में यह प्रावधान अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा—चाहे वे बोलियाँ इस परिपत्र की तारीख तक प्राप्ति के लिए लंबित हों या भविष्य की बोलियाँ हों।
The above Provision shall invariably be made part of the Bids cited at Para -1 above which are pending for receipt as on date of this circular or in future Bids.

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

संलग्नक: यथोपरी।

Encl.: As stated above.

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library site.
2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation.
3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
PPS to Secretary, MoRTH for Kind Information.



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200



भाराराप्रा/ नीति दिशानिर्देश/ मानक दस्तावेज़/ 2026 नीति परिपत्र सं. 11.94 / 2026 दिनांक 19th जून, 2026

{(ई-ऑफिस फाइल सं. CDMDIV-25/3/2026-CMD Division (कम्प्यूटर सं. 307004 पर लिया गया निर्णय))}

NHAI/ Policy Guidelines/ Standard Documents/2026

Policy Circular No. 11.94 / 2026 dated 19th June, 2026

{(Decision taken on E-Office File No. CDMDIV-25/3/2026-CMD Division (Comp No. 307004))}

विषय: भाराराप्रा स्तर पर मंजूर चल रही बोली प्रक्रिया और एनआरसीडब्ल्यू के भविष्य के कार्यों (ईपीसी मोड, ओएंडएम/एसटीएमसी/पीबीएमसी, ब्लैकस्पॉट कार्य आदि) में अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित प्रावधान में संशोधन।

Sub: Modification in the Provision relating to Additional Performance Security in Ongoing Bidding Process and Future Works of NRCW taken up on EPC Mode, O&M/ STMC/ PBMC, Blackspot work etc. sanctioned at NHAI level.

भाराराप्रा ने नीति परिपत्र संख्या 11.84/2026 दिनांक 13.02.2026 के माध्यम से, 05.03.2019 दिनांकित मानक आरएफपी (समय-समय पर संशोधित) पर ईपीसी मोड पर लिए गए एनआरसीडब्ल्यू सिविल कार्य के लिए अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति के प्रावधान, 01.09.2016 को जारी ओ एंड एम कार्यों के लिए मानक बोली दस्तावेज़ पर ओ एंड एम / ब्लैकस्पॉट्स/ एसटीएमसी और 01.12.2025 दिनांकित मानक आरएफपी पर एफआईडीआईसी दस्तावेज़ मद दर (प्रतिशत) को संशोधित किया है।

NHAI vide Policy Circular No. 11.84/2026 dated 13.02.2026 amended the Provision of Additional Performance Security for NRCW Civil Work taken up on EPC Mode on Standard RFP dated 05.03.2019 (amended time to time), O&M/ Blackspots/ STMC taken up on Standard Bid document for O&M Works issued on 01.09.2016 and FIDIC document Item Rate (Percentage) on Standard RFP dated 01.12.2025.

2. इसके अतिरिक्त, भाराराप्रा ने नीति परिपत्र संख्या 11.86/2026 दिनांक 21.02.2026 के माध्यम से पीबीएमसी कार्यों के लिए अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति के प्रावधान में भी संशोधन किया है।

Further, NHAI vide Policy Circular No. 11.86/2026 dated 21.02.2026 has also amended the Provision of Additional Performance Security for PBMC Works.

3. अब, कार्यकारी समिति ने दिनांक 11.06.2026 को आयोजित अपनी 719वीं बैठक [कार्यसूची मद संख्या 719.02] में एसटीएमसी कार्यों के लिए अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति के प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित किया है:

नीचे उल्लिखित बोलियों के मामले में, चयनित बोलीदाता को निष्पादन प्रतिभूति के साथ-साथ प्राधिकरण को केवल अनुलग्नक-VII में दिए गए प्रारूप में किसी बैंक से एक अपरिवर्तनीय और बिना शर्त बैंक गारंटी (ई-बैंक गारंटी सहित) के रूप में एक अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति ("अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति") भी प्रदान करनी होगी, जिसकी राशि की गणना निम्नानुसार की गई है:

Contd.....2/-

Now, Executive Committee in its 719th Meeting held on 11.06.2026 [Agenda Item No. 719.02] modified the Provision of Additional Performance Security for STMC works as below:

"In case of Bids mentioned below, the Selected Bidder, along with the Performance Security shall also furnish to the Authority in the form of an Irrevocable and Unconditional Bank Guarantee (including e-Bank Guarantee) only from a Bank in the same form given at Appendix-VII towards an Additional Performance Security (the "Additional Performance Security") for an amount calculated as under:

*(i) यदि चयनित बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित बोली मूल्य अनुमानित लागत के 15% से कम हो, तो सफल बोलीदाता को निर्धारित निष्पादन प्रतिभूति के अतिरिक्त अनुमानित लागत के 15% से जितनी कम बोली है, उतने प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति (एपीएस) प्रदान करनी होगी, अर्थात् (बोली से नीचे % - 15%) × उद्धृत बोली मूल्य।
If the Bid Price offered by the selected Bidder is lower than 15% of the estimated cost, the Successful Bidder shall be required to furnish Additional Performance Security (APS) equivalent to the Percentage by which the Bid is below 15% of the estimated cost, i.e., (% below bid - 15%) × Quoted Bid Price, in addition to the prescribed Performance Security."*

4. अब यह निर्णय लिया गया है कि अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित प्रावधान में उपरोक्त संशोधन, चल रही बोली प्रक्रिया के साथ-साथ एनआरसीडब्ल्यू के ईपीसी मोड पर लिए गए सभी भविष्य के कार्यों, 01.09.2016 को जारी ओ एंड एम कार्यों के लिए मानक बोली दस्तावेज़ के आधार पर लिए गए ओ एंड एम /एसटीएमसी और 01.12.2025 को जारी मानक आरएफपी पर एफआईडीआईसी दस्तावेज़ मद दर (प्रतिशत), पीबीएमसी, ब्लैकस्पॉट कार्य आदि, जिन्हें भाराराप्रा स्तर पर मंजूर किया गया है, पर लागू होगा।

It has now been decided that above mentioned amendment in the Provision related to Additional Performance Security shall apply to Ongoing Bidding Process as well as all Future Works of NRCW taken up on EPC Mode, O&M/ STMC taken up on Standard Bid Document for O&M Works issued on 01.09.2016 and FIDIC document Item Rate (Percentage) on Standard RFP dated 01.12.2025, PBMC, Blackspot work etc. sanctioned at NHAI level.

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library site.
2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation.
3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.